कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 289/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 25.07.2026

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक : 25.07.2026

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

अवैध तमन्चा के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

थाना फूलपुर पुलिस की कार्रवाई, शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर भेजा गया न्यायालय

जनपद में अवैध शस्त्र रखने एवं बेचने वाले अपराधियों तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर **देवेन्द्र प्रताप सिंह** के कुशल निर्देशन में थाना फूलपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

कृत कार्यवाही/ गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 24.07.2026 को उपनिरीक्षक सुधीर कुमार सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान सूचना पर **दुर्वासा गेट मोड़** से अभियुक्त **विनोद राजभर पुत्र सीकम राजभर, निवासी ग्राम कोठवा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 27 वर्ष** को समय **रात्रि 09:30 बजे** गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से **एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर** बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी के आधार पर थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0- 234/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम** बनाम विनोद राजभर पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 234/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- विनोद राजभर पुत्र सीकम राजभर, निवासी ग्राम कोठवा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी- 01 अवैध तमंचा .315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. **मु0अ0सं0 234/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।**
2. **मु0अ0सं0 414/2023, धारा 354, 456, 504, 506 भा.दं.सं., थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह,का0 अनिल प्रसाद, का0 जितेन्द्र कुमार यादव थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ।